न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– ज्वाला सहाय मीणा, आर0ए0एस0

वाद सं :: 103/2025
जी0सी0एम0एस0नं0 :: 2025/198

नरेन्द्र कुमार आयु 25 वर्ष पुत्र श्री भागीरथमल जाति गुर्जर निवासी बडवाली ढाणी सांगरवा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ।राज0।

वादी,

बनाम

1. अमित सैनी पुत्र किशोर सैनी जाति माली ।
2. नरेन्द्र सैनी पुत्र सीताराम जाति माली।
   निवासीगण गजानन्द बिहार, पिपराली रोड़ सीकर तह0 व जिला सीकर ।राज0।
3. ईशरराम पुत्र म्हादूराम जाति गुर्जर
4. ताराचंद पुत्र म्हादूराम जाति गुर्जर
5. चौथमल पुत्र भूदाराम जाति माली।
6. ताराचंद पुत्र भूदाराम जाति माली।
7. प्रहलाद पुत्र भूदाराम जाति माली।
8. बिरदीचंद पुत्र भूदाराम जाति माली।
9. प्रेमचंद पुत्र मदनलाल जाति गुर्जर।
   समस्त निवासीगण ग्राम रानोली हॉल निवास वैद की ढाणी तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर ।राज0।
10. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा रानौली तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।राज0।
11. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा रानौली तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ।राज0।
12. बहैसियत भूमिधारी तहसीलदार महोदय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री शिवदयाल यादव,वकील वादी की ओर से।
2. ,, नेमीचंद पूनिया,प्रति0सं0 1 से 4, 6 से 9 की ओर से।

दावा बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ
अंतर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक ::26.06.2025

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख0नं0 25 रकबा 4.7600 है0 वाके ग्राम बैद की ढाणी प0ह0 बैद की ढाणी तह0 दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमि में वादी का 1/15 हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि को आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त भूमि वादी एंव प्रति0सं0 1 ता 9 की राजस्व रिकार्ड में संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज भूमि है और सभी खातेदारों ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर बाहमी बंटवारा व सींव–नींव कायम कर बाहमी बंटवारे में प्राप्त अपने अपने हिस्से पर अपने–अपने पुख्ता पशुओं के बाडे व मकानात आदि बनाकर सभी खातेदार काबिज काश्त है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त भूमि में अपने 1/15 हक हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त विवादग्रस्त भूमि का आज दिन तक विधिवत रूप से बाई मिट्स एंड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने मौके पर बाहमी रूप से बंटवारा कर सींव–नींव कायम कर रखी है तथा बाहमी बंटवारे में आई भूमि को अपने–अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार संयुक्त खातेदारी में अंकित चली आ रही है। वादी अपनी भूमि का विधिवत बाई मिट्स एंड बाउण्डस बंटवारा करवाये बिना अपनी भूमि को विकसित नहीं कर सकता इसके अलावा वादग्रस्त भूमि का विक्रय,रहन हस्तान्तरण होते रहने से सह खातेदारों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढोतरी होने से स्टेन्जर पर्सन खरीदार होने से भूमि के विवादित होने की प्रबल संभावनाए है। इस कारण वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एंड बाउण्डस विधिवत बंटवारा किया जाना उचित व आवश्यक है। वादी ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 11 की उप मद क,ख,ग, घ अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 लगायत 4 व 6 ता 9 जरिये वकील उपस्थित आए। प्रति0सं0 5 बावजूद विधिवत तामील उपस्थित नहीं आए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर प्रकरण में दिनांक 10.06.25 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2025/3508 दिनांक 23.06.2025 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमियां संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमिया है तथा पक्षकारान तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/25/3508 दिनांक 23.06.25 के द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने पर सहमत है।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर आराजी कृषि भूमि ख0नं0 25 रकबा 4.7600 है0 वाके ग्राम वैद की ढाणी प0ह0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में निम्न प्रकार वादी एंव प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

क्र. स.	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	प्रेमचंद पुत्र मदनलाल जाति गुर्जर सा0 राणोली रहन बीआरकेजीबी राणोली	25/1	0.9520 है.	बा. 2	
.2.	ईशरराम पुत्र म्हादूराम जाति गुर्जर सा0 राणोली रहन पीएनबी राणोली	25/2	0.9520 है.	बा. 2	
3.	ताराचंद पुत्र म्हादूराम जाति गुर्जर सा0 राणोली रहन पीएनबी राणोली	25/3	0.9520 है.	बा. 2	
4.	बिरदीचंद पुत्र भूदाराम जाति माली सा0 राणोली	25/4	0.3173 है.	बा. 2	
5.	चौथमल पुत्र भूदाराम जाति माली सा0 राणोली	25/5	0.3173 है.	बा. 2	
6.	प्रहलाद पुत्र भूदाराम जाति माली सा0 राणोली	25/6	0.3173 है.	बा. 2	
7.	ताराचंद पुत्र भूदा जाति माली हि0 1/2 नरेन्द्र कुमार पुत्र भागीरथमल जाति गुर्जर हि0 1/2 सा0 सांगरवा	25/7	0.6347 है.	बा. 2	
8.	अमित सैनी पुत्र किशोर सैनी जाति माली हि0 1/2 नरेन्द्र सैनी पुत्र सीताराम सैनी हि0 1/2 सा0 गजानन्द बिहार पिपराली रोड़, सीकर	25/8	0.3174 है.	बा. 2	

तहसीलदार, दांतमारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर